हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तख्त इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	हरिचरण वगैरा VS रतनलाल वगैरा दावा	
	वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/ ~~दौरा~~ पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 23/1/17 को पेश हो ।	
	23/1/17 वकील फरीकेन उप० पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण निर्णय नही सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते बहस मजीद दिनांक 9/2/17 को पेश हो।	
	9/2/17 वकील फरीकेन उप० बहस मजीद सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23/2/17 को पेश हो।	
	23/2/17 वकील फरीकेन उप० पूर्व हुक्म वास्ते निर्णय दिनांक 9/3/17 को पेश हो।	
	9/3/17 वकील फरीकेन उप० दावा वादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 7 खर्चा व खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर रेकर्ड हो।	

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः- श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस) उप जिला कलक्टर सपोटरा

करण संख्या	किस्म	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
45/2012	दावा	07.08.2012	09.03.2017

उनवान

1. हरिचरण
2. लक्ष्मीनारायण
3. मोहरसिंह

पुत्रान ठण्डीलाल जातिगण मीना निवासी डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र रूपचन्द मीना
2. ऋषिकेश पुत्र मनोहर मीना
3. धारासिह पुत्र मनोहर मीना

निवासी डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)

4. रेशमबाई पुत्री मनोहर पत्नी कल्ला पुत्र रामसहाय निवासी शफीपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
5. हुकमबाई ..... पत्नि ऋषि पुत्र बद्री निवासी खण्डीप तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
6. संतरा .....पत्नि बृजलाल पुत्र संम्भू निवासी एकट तहसील सपोटरा जिला करौली।
7. अनीता पत्नी ओमप्रकाश मीना निवासी डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
8. जलबाई पत्नी कैलाश
9. बरफी पत्नी हरिप्रसाद
10. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय सपोटरा जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

संक्षेप मे प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि "वादी ने उपरोक्त धाराओ मे एक वाद पत्र पेश किया कि, आराजी ख0न0 1881 रकवा 13 विस्वा, ख0न0 1911 रकवा 01 वीधा 01 विस्वा, ख0न0 1912 रकवा 01 बीधा, 1968 रकवा 02 बीधा 09 विस्वा, 1979 रकवा 01 बीधा 08 विस्वा, ख0न0 1980 रकवा 01 बीधा 06 विस्वा, ख0न0 2010 रकवा 06 विस्वा, ख0न0 2011 रकवा 06 विस्वा एवं ख0न0 2012 रकवा 06 विस्वा कुल किता 09 कुल रकवा 08 बीधा 15 विस्वा भूमि वाके ग्राम डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है जिसमे हम वादीगण का हिस्सा 1/3 है। यह कि प्रतिवादी नं0 2 ता 6 के पिता ने आराजी ख0न0 1881 रकवा 13 विस्वा मे अपना संपूर्ण हिस्सा 2/3 का बेचान हम वादीगण की मॉ जगनी वेवा स्वं0 ठण्डीराम को दिनांक 22.08.1997 को वयमाला कलाम बेचकर 50/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल मुद्रांक 01 पर मय दो गवाहान के समक्ष रामधन मीना पुत्र श्योनारायण मीना निवासी डाबरा के द्वारा लिखवाकर विक्रयशुदा उक्त आराजी की प्रतिफल की राशि 70000/– अक्षरे सत्तर हजार रूपये भी विक्रेतागण ने मौके पर ही प्राप्त कर ली है तथा मौके पर विक्रेतागण ने उक्त ख0न0 पर कब्जा हम वादीगण की मॉ को संभला दिया और मॉ के स्वर्गवास होने के पश्चात से ही हम वादीगण उक्त आराजी पर फसल काश्त कर फसल का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। हम वादीगण उक्त ख0न0 की संपूर्ण रकवे की घोषणा

उप जिला कलक्टर सपोटरा-करौली

Scanned by CamScanner

ातेदारी कराने के मुस्तहक अधिकारी है। यह है कि विवादित भूमि मे हम वादीगण का
स्सा 1/3 है विवादित भूमि हमारी शामलाती कब्जे व काश्त की पुश्तैनी भूमि है।
तिवादीगण 1 लगायत 6 का हिस्सा ख0न0 1881 के अलावा शेष विवादित भूमि पर 2/3 है
ाके पर हम फरीकेन वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 शामिल मे फसल काश्त कर
फसल का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यह है कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 6 के
न मे वदनियति आने से विवादित आराजीयात मे अपने हिस्से को रहन वय करने पर आमदा
तथा अजनवी क्रेता के आने पर वेजा मुकदमाबाजी बढेगी तथा फरीकेन को आर्थिक क्षति
ोगी। प्रतिवादीगण ने दिनांक 17.07.12 को आराजी ख0न0 1980, 1911 कुल किता 02 कुल
रकवा 2 बीधा 07 विस्वा मे अपना सम्पूर्ण हिस्सा 2/3 का बेचान प्रतिवादी नं0 8 को जरिये
रजिस्टर्ड विकय पत्र कर दिया है तथा ख0न0 1779 मे कुल रकवे का 1/3 हिस्सा व ख0न0
1912 मे 5 विस्वा का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड वयनामा के प्रतिवादी नं0 9 को कर दिया है
तथा इसी प्रकार ख0न0 1779 के कुल रकवे का 1/3 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड
वयनामा प्रतिवादी संख्या 7 को कर दिया है। प्रतिवादी 01 लगायत 6 ने विवादित आराजीयात
मे अपने शेष हिस्से को रहन वय करने के लिये दिनांक 22.07.12 को एलानिया धमकी दी कि
हम अपने हिस्से को किसी लठ्ठ वाले सहजोर ताकतबर व्यक्तियो को कर देगे जो तुम्हारे
हिस्से को भी जवरन हडप लेगे तथा तुम्हे फसल काश्त नही करने देगे। अतः हम खातेदारो
को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नगद कतई संभव नही है। इसलिए हम वादीगण
विवादित भूमि मे अपने हिस्से मे बंटवारा, घोषणा खातेदारी कराने तथा प्रतिवादीगण को जरिये
स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है।"

दावे को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगणो को अपना पक्ष रखने हेतु तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 तथा 6 लगायत 9 वावजूद तामील उपस्थित नही होने के कारण इनके खिलाफ दिनांक 06.09.12 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 वावजूद तामील उपस्थित नही हुये इसलिए दिनांक 27.09.12 को इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 04.04.13 को प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 की तरफ से वकील केशव कुमार गौत्तम ने वकालत नामे के साथ प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जिसकी नकल वादी को दिलाई गई। दिनांक 12.09.13 को उक्त प्रा0पत्र पर दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात प्रा0पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 06.09.12 को अपास्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 वावजूद तामील उपस्थित नही हुआ इसलिए दिनांक 16.01.14 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 09 की तरफ से इसी दिनांक को जवाव दावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसकी नकल वादी वकील को दिलाई गई, प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 09 ने अपने जवाव दावे में अंकित किया है कि " वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य पूर्व मे ही बंटवारा हो चुका था, उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 ने प्रतिवादी संख्या 07 को ख0न0 1779 मे से अपने हिस्से 2/3 का 1/2 भाग अर्थात कुल रकवे का 1/3 हिस्सा का बेचान पूर्ण राशि प्राप्त कर के दिनांक 17.07.12 को कर दिया था तथा इसी खसरे नम्बर मे से अपने शेष हिस्से 1/3 का बेचान प्रतिवादी नं0 9 को पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त करके इसी दिनांक को कर दिया था। इसी प्रकार ख0न0 1980 रकवा 01 बीधा 06 विस्वा ख0न0 1911 रकवा 01 बीधा 01 विस्वा कुल किता 02 कुल रकवा 02 बीधा 07 विस्वा मे से अपने हिस्से 2/3 का बेचान पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर के प्रतिवादी संख्या 08 को दिनांक 17.07.12 को कर दिया था, इसी प्रकार ख0न0 1912 मे से 5 विस्वा को बेचान प्रतिवादी संख्या 09 को किया गया था, तभी से हम प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 अपनी–अपनी खरीद शुदा आराजी पर काबिज है। वादीगण राजस्व दावे की आड मे प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मे व्यवधान पैदा करके हडपना

उप जिला कलक्टर
जिला-करौली

Scanned by CamScanner

लिते है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे तथा वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 9 की खरीद शुदा भूमि किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

दिनांक 01.10.14 को वकील वादीगण ने जवावुल जवाव पेश किया जिसमे अंकित किया है कि विना बंटवारा कराये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के पक्ष मे किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गलत है, अतः प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 का काउन्टर क्लेम काबिल खारिज है।

दावे, जवाव दावे व जवावुल जवाव के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजीयात वादीगण की सह खातेदारी की है जिसमे वादीगण का हिस्सा 1/3 है।
   – वादीगण
2. आया प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के पिता ने आराजी ख0न0 1181 रकवा 13 विस्वा के अपने सम्पूर्ण हिस्से 2/3 को वादीगण की मॉ को वयमाला कलाम बेचकर 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखकर विक्रय कर दिया है। इसलिए वादीगण अपने नाम घोषणा खातेदारी पृथक से कराने के अधिकारी है।
   – वादीगण
3. आया विवादित आराजीयात के वादीगण खाता व लगान अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे पृथक से कायम किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है।
   – वादीगण
4. आया वादीगण ने झूठा वाद पत्र पेश किया है इसलिए दावा वादीगण खारिज होने योग्य है।
   –प्रतिवादी सं0 7 ता 9
5. आया ख0 नम्बर 1911, 1912, 1979, 1980 मे से वादीगण ने आंशिक हिस्सा प्रतिवादी सं0 7 ता 9 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया है इसलिए प्रतिवादी सं0 7 ता 9 राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज करा घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने क़े अधिकारी है।
   –प्रतिवादी सं0 7 ता 9
6. आया प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है।
7. दादरसी ?

वादीगण की साक्ष्य ली गई। साक्ष्य मे वादी हरिचरण ने शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा बाद जिरह साक्ष्य वादीगण बन्द की गई। प्रतिवादीयों की साक्ष्य ली गई। प्रतिवादी 7 लगायत 9 ने अपने–अपने शपथ पत्र पेश किये जिनसे जिरह रिकार्ड की गई तथा साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वकीलो की फाईनल बहस सुनी गई, समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संलग्न समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व रिकार्ड के अवलोकन, दावे, जवाव दावे, जवावुल जवाव एवं उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात *तनकी वाईज* पृथक–पृथक निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी नं01:–पत्रावली मे संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2067 से 2070 के अनुसार ग्राम डाबरा की विवादित आराजी ख0न0 1881 रकवा 13 विस्वा, ख0न0 1911 रकवा 01 वीधा 01 विस्वा, ख0न0 1912 रकवा 01 बीधा, 1968 रकवा 02 बीधा 09 विस्वा, 1979 रकवा 01 बीधा 08 विस्वा, ख0न0 1980 रकवा 01 बीधा 06 विस्वा, ख0न0 2010 रकवा 06 विस्वा, ख0न0 2011 रकवा 06 विस्वा एवं ख0न0 2012 रकवा 06 विस्वा कुल किता 09 कुल रकवा 08 बीधा 15 विस्वा मे वादीगण एवं वादीगण की माता जगनी का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार जगनी वेवा ठण्डी का देहान्त दिनांक 15.04.2005 को हो चुका है जिसका विरासत का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। जगनी के विरासत के

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण के निर्णीत होने के पश्चात ही नवीनतम जमाबंदी के अनुसार वादीगण का विवादित आराजीयात मे हिस्सा निर्धारित हो सकेगा। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे सहखातेदार होने के अधिकार तक आंशिक रूप से निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:—वादीगण द्वारा खo नo 1881 रकबा 13 बिस्वा का स्टाम्प पेपर पर लिखा अपंजीकृत बेचाननामा प्रस्तुत किया है लेकिन 100/— रूपये से अधिक मूल्य की सम्पति का भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार पंजीयन अनिवार्य है जो वादीगणो द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है पुनः कोई भी दस्तावेज जो पूर्ण मुद्रांकित नही हो उसे राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 39 के अनुसार साक्ष्य मे स्वीकार नही किया जा सकता अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित नहीं होने के कारण साक्ष्य का पर्याप्त सबूत नही है इसलिए यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:—प्रतिवादीगण 7 लगायत 9 को राजस्व रिकार्ड में वयनामो के अनुसार अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण हक प्राप्त है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को भी विना बंटवारा कराये अपने हिस्से की भूमि किसी इतर व्यक्तियो को बेचने का पूर्ण अधिकार है। रजिस्टर्ड बयनामे को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः राजस्व रिकार्ड मे 7 लगायत 9 का नाम रजिस्टर्ड वयनामे के आधार पर जरिये नामान्तरकरण दर्ज करने/नही करने का निर्णय किये जाने एवं वादी की माता जगनी बेवा ठण्डी की विरासत का नामान्तरकरण निर्णित होने के पश्चात ही बंटवारे का दावा लाया जाना न्यायोचित है साथ ही संयुक्त खातेदार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द नही कराया जा सकता क्योकि बंटवारा कराये बिना संयुक्त खातेदारी की भूमि के हर इन्च पर अपने हिस्से अनुसार सभी सह खातेदारो का समान अधिकार होता है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:—वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे कोई भी रिकार्डेड तथ्य छुपाया नही गया है यह बात प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के जवाव दावे मे भी प्रमाणित होती है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण 7 लगा0 9 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:—रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 सक्षम स्तर पर आवेदन करके जरिये नामान्तरकरण अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के लिये स्वतंत्र है। नामान्तरकरण को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी (तहसीलदार/ग्राम पंचायत) को है। इस प्रक्रिया मे इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है। अतः यह तनकी रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कराने के अधिकार तक आंशिक रूप से प्रतिवादीगण 7 लगायत 9 के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6:—प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द कराने के अधिकारी नही है क्योकि पत्रावली मे संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 रिकार्डेड सह खातेदार के रूप मे दर्ज नही है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 9 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकी वाईज विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.03.2017 को खुली अदालत मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा

Scanned by CamScanner